न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 2021/129

जमना शंकर पुत्र बिरधी लाल जाति जाट निवासी गणेश खेडा तहसील पीपल्दा जिला कोटा ।

---अपीलान्ट

बनाम

1. बिरधी लाल पुत्र मथुरा लाल जाति जाट निवासी गणेशखेडा ।
2. शिवराज पुत्र बिरधी लाल जाति जाट निवासी गणेशखेडा ।
3. लीला पुत्री बिरधी लाल जाति जाट निवासी गणेशखेडा ।
4. विनिता पुत्री बिरधी लाल जाति जाट निवासी गणेशखेडा ।
5. मूलचन्द पुत्र पन्ना लाल जाति लश्करी निवी गडेपान झोपडिया तहसील दीगोद जिला कोटा ।
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार पीपल्दा जिला कोटा ।

---रेस्पोडन्ट

उपस्थित :– 1. श्री रघुवीर सिंह राठौड, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री अशोक गुप्ता, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट कम 01 की ओर से ।

निर्णय दिनांकः 17.09.2021

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय सहायक कलक्टर, इटावा जिला कोटा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 20.07.2021 के विरूद्ध पेश की गई हैं ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि प्रार्थी अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 212 के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कथन किया कि ग्राम गणेशखेडा तहसील पीपल्दा जिला कोटा में कुल 04 किता की रकबा 4.85

हैकटर भूमि स्थित है । उक्त भूमि पैतृक है जो वादी के पिता प्रतिवादी कम 01 को उनके पिता मथुरालाल से विरासत में प्राप्त हुई है । वादग्रस्त आराजी पैतृक होने से उसमें वादी का जन्म से हित निहित है । प्रार्थी अपने हिस्से की भूमि के सम्बन्ध में हक घोषणा कराने एवं विभाजन कराने का अधिकारी है । वादग्रस्त आराजी में से प्रतिवादी कम ने अपने निहित हिस्से में से 0.81 हैक्टर भूमि का बेचान कर दिया बेचान के बाद उनके हिस्से की बची हुई भूमि के बाबत् वे विभाजन कराने के अधिकारी हैं । वादी का वादग्रस्त आराजी में 1/5 हिस्सा निहित है जिस पर वे शांतिपूर्वक काबिज काश्त हैं । प्रतिवादी कम 01 वादी को उनके हिस्से की आराजी पर काश्त करने से रोकते हैं ऐसी स्थिति में वादग्रस्त आराजी का विभाजन किया जाना आवश्यक है। प्रथमदृष्टया प्रकरण प्रार्थी के पक्ष में है ।

3. अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थी के पक्ष में अप्रार्थी कम 01 के विरूद्ध ताफैसला वाद इस आशय की अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की जावे कि अप्रार्थी कम 01 प्रार्थी के हिस्से की भूमि में उनके कब्जे काश्त में किसी प्रकार की मदाखलत व मजाहमत नहीं करें । उक्त भूमि को रहन, बेचान एवं अन्य किसी प्रकार से खुर्द–बुर्द नहीं करें । उक्त कृत्य न तो स्वयं अप्रार्थी कम 01 करें और न ही अपने किसी प्रतिनिधि से करावें ।

4. अप्रार्थी कम 01 ने जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज करने का कथन किया ।

5. अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 20.07.2021 के द्वारा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया ।

6. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन निर्णय दिनांक 20.07.2021 से व्यथित होकर प्रार्थी अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर कथन किया कि वादग्रस्त आराजी पैतृक सम्पत्ति है जिसमें अप्रार्थी रेस्पोडेन्ट कम 01 के साथ प्रार्थी का 1/5 हिस्सा निहित है उक्त आराजी बिरधीलाल को अपने पिता से प्राप्त हुई है । अपीलान्ट अपने हिस्से की भूमि पर काबिज काश्त है । रेस्पोडेन्ट उक्त भूमि को जबरन बेचान करने पर आमादा है । यदि रेस्पोडेन्ट ने उक्त भूमि को दौराने वाद बेचान कर दिया तो अपीलान्ट को भारी क्षति होगी । प्रथमदृष्टया प्रकरण प्रार्थी के पक्ष में है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय त्रुटिपूर्ण है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 20.07.2021 निरस्त फरमाया जावे ।

7. अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई ।

8. अपीलान्ट के विद्वान् अभिभाषक ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और कथन किया कि वादग्रस्त आराजी वाके ग्राम गणेशखेडा तहसील पीपल्दा जिला कोटा में कुल 04 किता की 4.85 हैकटर भूमि स्थित है जो कि अपीलान्ट की पैतृक आराजी है जिसमें

अपीलान्ट का 1/5 हिस्सा निहित है । वादग्रस्त आराजी अपीलान्ट के पिता बिरधीलाल को अपने पिता मथुरालाल से प्राप्त हुई है । अपीलान्ट को उनका हिस्सा उनके पिता बिरधीलाल रेस्पोडेन्ट के द्वारा नहीं दिया जा रहा है वरन् आराजी को खुर्द–बुर्द करने पर आमादा हैं । अधीनस्थ न्यायालय ने वादग्रस्त आराजी को पैतृक नहीं माना त्रुटिपूर्ण निर्णय पारित किया है। अराजी पैतृक है यह राजस्व रिकॉर्ड से प्रमाणित है । अपील के लम्बित रहते हुए भी रेस्पोडेन्ट ने आराजी में से कुछ हिस्सा विक्रय किया है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 20.07.2021 निरस्त फरमाया जावे । उन्होंने अपने पक्ष के समर्थन में आरआरटी 2018–19 (सप्ली0) पेज 278 उद्धरत की ।

9. अपीलान्ट ने अपील के साथ फोटो प्रति नकल जमाबन्दी संवत् 2075–78 पेश की जिसके वादग्रस्त आराजी बिरधीलाल के खाते में दर्ज है और एक विक्रय पत्र की फोटो प्रति भी पेश की गई है जिसके अनुसार बिरधीलाल ने वादग्रस्त आराजी में से खसरा नम्बर 760 की 1.16 हैकटर आराजी ओमप्रकाश को दिनांक 28.07.2021 को विक्रय की है ।

10. रेस्पोडेन्ट के विद्वान् अभिभाषक ने अपनी बहस में कथन किया कि वादग्रस्त आराजी अपीलान्ट के पिता के खाते की है और पिता के जीवनकाल में पुत्र को उसमें कोई अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं । अपीलान्ट ने अपील में यह स्पष्ट नहीं किया है कि परीक्षण न्यायालय के निर्णय में क्या त्रुटि है । रेस्पोडेन्ट वादग्रस्त आराजी के खातेदार कृषक हैं और उनको अपनी आराजी को विक्रय करने का पूर्ण अधिकार है । अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है । अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 20.07.2021 बहाल रखा जावे ।

11. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया । वादग्रस्त आराजी कुल 04 किता की रकबा 4.85 हैक्टर बिरधीलाल पुत्र मथुरा लाल एवं राजू बाई पुत्री मथुरा लाल के खाते में दर्ज है इसमें नामान्तरकरण संख्या 784 का नोट अंकित है जिसके अनुसार बिरधीलाल और राजूबाई ने वादग्रस्त आराजी में से खसरा नम्बर 760/1 रकबा 0.80 हैक्टर का मूलचन्द पुत्र पन्ना लाल को विक्रय किया है । पत्रावली पर फोटो प्रति नकल जमाबन्दी संवत् 2041–60 संलग्न है जिसके अनुसार वादग्रस्त आराजी साबिक खसरा नम्बरान की कुल 05 किता की 6.16 हैकटर मथुरा लाल, माणक चन्द पिसरान रामनारायण के खाते में दर्ज है । फोटो प्रति नकल जमाबन्दी संवत् 2059–62 संलग्न है जिसके अनुसार कुल 06 किता की 5.15 हैक्टर आराजी मथुरा लाल पुत्र रामनारायण के खाते में दर्ज है और फोटो प्रति नकल जमाबन्दी संवत् 2067–70 के अनुसार 04 किता की रकबा 4.85 हैक्टर आराजी मथुरा लाल पिसरान रामनारायण के खाते में दर्ज है जिसमें नामान्तकरण संख्या 632 का नोट अंकित है जिसके अनुसार विरासत में मृतक मथुरा के स्थान पर बिरधी लाल पुत्र राजूबाई पुत्री मथुरा लाल के नाम दर्ज करने का आदेश हुआ है । अपील में जो फोटो प्रति नकल जमाबन्दी पेश की गई है उसके अनुसार कुल 04 किता की 4.05 हैक्टर आराजी बिरधीलाल के तन्हा खातेदारी में दर्ज है । इस प्रकार पत्रावली पर जो राजस्व रिकॉर्ड पेश किया गया है उसके अनुसार वादग्रस्त आराजी मथुरा लाल के खाते से बिरधीलाल के खाते में आई है । अपीलान्ट का यह कथन है कि वादग्रस्त आराजी पैतृक होने के कारण उनका जन्म से इसमे

अधिकार है । यद्यपि पक्षकारों के अधिकार एवं स्वत्व मूल दावे में साक्ष्य के उपारान्त तय होंगे इस स्टेज पर नहीं । इस स्टेज पर प्रथमदृष्टया यह प्रमाणित है कि वादग्रस्त आराजी बिरधीलाल के खाते में मथुरा लाल के खाते से आई है और बिरधीलाल के द्वारा अपील के लम्बित रहने के दौरान वादग्रस्त आराजी में से खसरा नम्बर 760 की रकबा 1.16 हैक्टर आराजी का बेचान ओमप्रकाश को किया गया है । इन तथ्यों के आधार पर आराजी मथुरा लाल के खाते से बिरधीलाल के खाते में आने के कारण प्रथमदृष्टया अपीलान्ट जमनाशंकर की पैतृक प्रतीत होती है । तद्नुसार वादग्रस्त आराजी को विक्रय नहीं करने हेतु सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति भी अपीलान्ट के पक्ष में तय पायी जाती है । अतः हम इस प्रकरण में ताफैसला वाद रेस्पोडेन्ट को वादग्रस्त आराजी को विक्रय नहीं करने हेतु जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाना उचित समझते हैं । विद्वान् अभिभाषक अपीलान्ट के द्वारा उद्धरत नजीर यहॉ चस्पा होती है । परीक्षण न्यायालय ने प्रार्थी अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र खारिज करने में त्रुटि की है ।

12. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 20.07.2021 निरस्त किया जाता है । रेस्पोडेन्ट कम 01 को ताफैसला वाद इस आशय की अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वह ताफैसला वाद वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर का 539/1 रकबा 0.08 हैक्टर, खसरा नम्बर 709 रकबा 2.10 हैक्टर, खसरा नम्बर 760 रकबा 1.16 हैक्टर, खसरा नम्बर 793 रकबा 0.71 हैक्टर कुल 04 किता की रकबा 4.05 हैक्टर वाके ग्राम गणेशखेडा तहसील पीपल्दा का विक्रय नहीं करे और अन्यथा किसी प्रकार से खुर्द–बुर्द नहीं करे ।

13. निर्णय आज दिनांक 17.09.2021 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

17.9.2021

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा